न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
विविध अपील वाद संख्या–151/2016
शकीला खातुन –बनाम– बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
17.08.2018	**आदेश** आवेदिका के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत विविध वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–7319/2016, (शकीला खातुन बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.12.2016 के आलोक में आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारंभ किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये आदेश के अनुरूप वाद प्रतिग्रहित करते हुए संबंधित पक्षकार को सूचना देने तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल दरभंगा से स्थल निरीक्षण कर स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है। तदालोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता दरभंगा के कार्यालय पत्रांक 147 दिनांक 28.03.2017 से प्रतिवेदन प्राप्त है। निबंधित डाक से विपक्षी को सूचना दी गयी है फिर भी विपक्षी इस वाद में उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः स्वतः वंचित हैं। न्यायहित में वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गयी है। आवेदिका के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत् भूमि खाता संख्या–152 (नया) 1152 (पुराना), खेसरा सं0–337 (नया) 294 (पुराना) रकबा–4 डी0 पर आवेदिका का वर्षों से दखल कब्जा रहा है। उक्त भूमि पर आवेदिका का घर (झोंपड़ी) बना है एवं संबंधित भूमि का बन्दोबस्ती पर्चा निर्गत करने हेतु आवेदिका द्वारा संबंधित पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दिया गया। प्राप्त आवेदन पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा सम्यक जाँच की गयी, जिसमें आवेदिका के दखल कब्जा को सही पाया गया। बन्दोबस्ती प्रक्रियाधीन अवधि में विपक्षी मो0 रऊफ, पिता–मो0 ओली द्वारा आवेदिक के दखल कब्जा में व्यवधान उत्पन्न किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदिका द्वारा संबधित थाना को ससमय सूचना दी गयी। संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी। बन्दोबस्ती प्रक्रिया नहीं किये जाने के विरूद्ध आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–7319/16 दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रश्नगत् वाद दायर किया गया है। आवेदिका के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका के पूर्व दखल कब्जा को देखते हुए बन्दोबस्ती पर्चा निर्गत करने की कृपा की जाय। विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अभिलेख संधारित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल दरभंगा के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि हाल सर्वे खतियान में अनावाद सर्व साधारण के नाम दर्ज है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:–	

मौजा–धरमपुर, थाना नं0–229, अंचल कुशेश्वरस्थान पूर्वी

खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी	रैयत
152 नया 122 पुराना	337 नया 294 पुराना	04 डी0	उ0–पोखर द0–नम्बर हाजा वो सड़क पू0–लालो मियाँ वगै0 प0–नम्बर हाजा वो ईदगाह	गैर मजरूआ खास (पुराना) अनावाद सर्व साधारण हेतु (नया खतियान)

विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वर्त्तमान समय में प्रश्नगत् भूमि पर आवेदिका का दखल कब्जा नहीं है तथा आवेदिका के स्वयं मौरूसी भूमि पर पक्का मकान निर्मित है। अतः आवेदिका को बन्दोबस्ती पर्चा दिया जाना सरकार द्वारा प्रावधित प्रावधान के विपरीत होगा। अतः विधि–सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है।

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल के पत्रांक 147 दिनांक 28.03.17 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मो0 रहमत जो शकीला खातुन के पति है उपरोक्त बन्दोबस्ती हेतु प्रस्तावित भूमि पर पूर्व में अवैध दखल कब्जा किये हुए थे, जिसे वर्त्तमान में मो0 रउफ ने अवैध रूप से दखल कब्जा कर रखा है जिसे अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के द्वारा भी जाँच दिनांक 17.06.2016 से सही पाया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि दोनों पक्षों का अपना–अपना वास हेतु भूमि विवादित प्रस्तावित भूमि से 100–200 मीटर की दूरी पर है तथा दोनों पक्षों द्वारा उक्त भूमि पर अवैध दखल करने का प्रयास किया गया है तथा वर्त्तमान में भूमि मो0 रउफ के अवैध दखल में है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित विवादित भूखंड से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मो0 रहमत का पक्के का मकान निर्मित है जिसमें वह परिवार सहित रहते हैं। अतः स्पष्ट है कि मो0 रहमत का स्वयं की अपनी मौरूसी भूमि पर पक्का मकान निर्मित है, ऐसी परिस्थिति में उनकी पत्नी श्रीमती शकीला खातुन उर्फ शकीला खातुन के नाम से वास हेतु भूमि बन्दोबस्ती करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

अतः सम्यक रूप से विचारोपरान्त मेरा समाधान है कि आवेदिका को संबंधित भूमि की बंदोबस्ती किया जाना उचित नहीं है।

आवेदिका द्वारा दायर आवेदन को खारिज किया जाता है। अंचलाधिकारी कुशेश्वरस्थान पूर्वी को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत् भूमि जो कि बिहार सरकार की भूमि है जिस पर वर्त्तमान में मो0 रउफ पेसर मो0 औली, साकिन–धरमपुर, द्वारा अवैध रूप से नाद, भूस्कार एवं मवेशी बाँध करके अतिक्रमित किये हुए हैं, को अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत् वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।